(ङ) क्या यह सच है कि पेट्रोल, डीजल और एल॰पी॰जी॰ विक्रय केन्द्र मात्रा और दूरी के आधार पर खोले जाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालु): (क) और (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार पेट्रोल/डीजल की खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप, तेल उद्योग द्वारा अनुपालन किए जा रहे मात्रा दूरी मानकों को पूरा करने वाले स्थानों पर खोले जाते हैं। इसी प्रकार एल॰पी॰जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिप 10,000 और अधिक की जनसंख्या वाले कैस्बों में चरणबद्ध ढंग से खोलने की योजना बनाई जाती है बशर्ते कि 15 कि॰मी॰ के अर्धव्यास के भीतर पड़ने वाले निकटवर्ती गावों सहित उक्त कस्बे की संभाव्यता, व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चलाए रखने के लिए पर्याप्त हो। डीलरशिपों/ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को खोलने में आवश्यक आधारभूत सिद्धान्त उक्त क्षेत्र में प्रचातनरत मौजूदा डीलरों/डिस्ट्रब्यूटरों की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित किए बिना उत्पादों की आसान उपलब्धता के लिए कार्यतंत्र का विस्तार करना है।

(ख) सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तें नीचे दी गई हैं:-

	राष्ट्रीयता	- भारतीय
	आयु	- अनु॰ जाति/ज॰जा॰/शारीरिक रूप से विकलांगों, रक्षा और सामान्य श्रेणियों के लिए 21—50 वर्ष - उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 35 वर्ष और अधिक। - स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
	शैक्षणिक योग्यताएं	
(1)	अनु॰ जाति/जनजाति, शारीरिक विकलांग रक्षा और सामान्य श्रेणी	- मैट्रीकुलेशन अथवा समकक्ष
(2)	स्वतंत्रता सेनानी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी	- लागू नहीं
	आय	
	व्यक्ति	- 50,000/- रूपये प्रतिवर्ष
	सहकारी समितियां	- कोई सीमा नहीं।
	निवास	
(1)	अनु॰ जाति/जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांगों की श्रेणी में शारीरिक विकलांगों के लिए	- संबंधित जिले को वरीयता देते हुए विज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार निकटवर्ती जिलों के निवासी।
(2)	स्वतंत्रता सेनानी और सामान्य श्रेणियां	- संबंधित जिले के निवासी।
(3)	रक्षा, उत्कृष्ट खिलाड़ी और शारीरिक विकलांगों की श्रेणी में शारीरिक रूप से विकलांगों के अलावा अन्य	- संबंधित राज्य के किसी भी जिले के निवासी।